छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील नंबर 215/2004

प्रकरण निर्णय हेतु सुरक्षित दिनांक–14/01/2020

फैसला सुनाये जाने का दिनांक–03/02/2020

1. हिंछाराम पिता श्री दरियाव सिंह (मृत)

द्वारा विधिक वारिसान–

ए. लक्ष्मी बाई पत्नी मीनाराम, उम्र 52 वर्ष,

निवासी– ग्राम–टाकम, तहसील बेरला, जिला बेमेतरा छ०ग०(पुत्री)

बी. हेमीन उर्फ जमुना बाई पत्नी दीनबंधु,

उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम कन्डाई पोस्ट–निनवा,

तहसील एवं जिला बेमेतरा छ०ग०

2. चुरामन सिंह पिता श्री हिंछाराम, उम्र लगभग 35 वर्ष,
3. खेमराज सिंह, पिता श्री हिंछाराम, उम्र लगभग 31 वर्ष,
4. दिलीप कुमार पिता श्री हिंछाराम, उम्र लगभग 27 वर्ष,

सभी कृषक, निवासी ग्राम एवं तहसील बेरला,

जिला–दुर्ग (छ०ग०) **-----अपीलार्थीगण /प्रतिवादीगण**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

1. श्रीमती श्याम बाई, विधवा स्व० श्री गुहाराम,

उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी घिवारी, तहसील साजा,

जिला दुर्ग छ०ग०

2. प्यारी बाई , विधवा नामालूम, उम्र लगभग 33 वर्ष,

निवासी ग्राम खैरझीटी, तहसील– साजा,

जिला दुर्ग छ०ग०

3. इंद्राणी बाई विधवा नामालूम, उम्र लगभग 30 वर्ष,

निवासी– ग्राम खैरझीटी, तहसील साजा,

जिला दुर्ग छ०ग० ------------ वादीगण

4. कैजाबाई पत्नी श्री तुलसी (मृत)

द्वारा विधिक वारिसान–

ए. तुलसी (पति) (मृत एवं विलोपित)

बी. लूप सिंह पिता तुलसी, उम्र लगभग 40 वर्ष,

निवासी–ग्राम हथमुडी, तहसील–साजा,

जिला– दुर्ग छ०ग०

सी. सुन्दर पिता तुलसी, उम्र लगभग 37 वर्ष,

निवासी– ग्राम हथमुडी, तहसील–साजा,

जिला– दुर्ग छ०ग०

डी–श्रीमती चम्पा बाई, केसडेबरी के पास, ग्राम कोदवा,

पोस्ट देवरबीजा, तहसील बेरला, जिला–दुर्ग छ०ग०

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. ढेलिया बाई पत्नी श्री तिलकराम, उम्र लगभग 59 वर्ष,

व्यवसाय–कृषक, निवासी सोनेसरार, तहसील–धमधा,

जिला दुर्ग छ०ग०

6. छ०ग० राज्य द्वारा जिलाध्यक्ष,

जिला–दुर्ग छ०ग०

----- प्रतिवादीगण

अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के लिएः– श्री शशिभूषण तिवारी, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण/वादीगण के लिएः– श्री एच०एस०पटेल, अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 6/राज्य के लिएः–श्रीमती आस्था शुक्ला, पेनल लॉयर ।

<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल</u>

<u>सी०ए०वी०निर्णय</u>

1. अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत इस दूसरी अपील को निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधि के प्रश्नों को तैयार करके सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया थाः–

1. क्या दोनों निचली अदालतें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सहीं थी कि दरियाव सिंह अपनी अविभाजित सम्पत्ति का विक्रय करने के लिये सक्षम नहीं थे ?

2. क्या दोनों निचली अदालतें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सहीं थी कि क्या फाफीबाई द्वारा निष्पादित वसीयत असली नहीं थी ?

(सुविधा के लिए, इसके बाद पक्षों को उनकी स्थिति के अनुसार संदर्भित किया जाएगा एवं वाद में दी गई श्रेणी के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. उभय पक्ष के मध्य रिश्तेदारी होने के संबंध में तैयार वंश वृक्ष निम्नानुसार है–

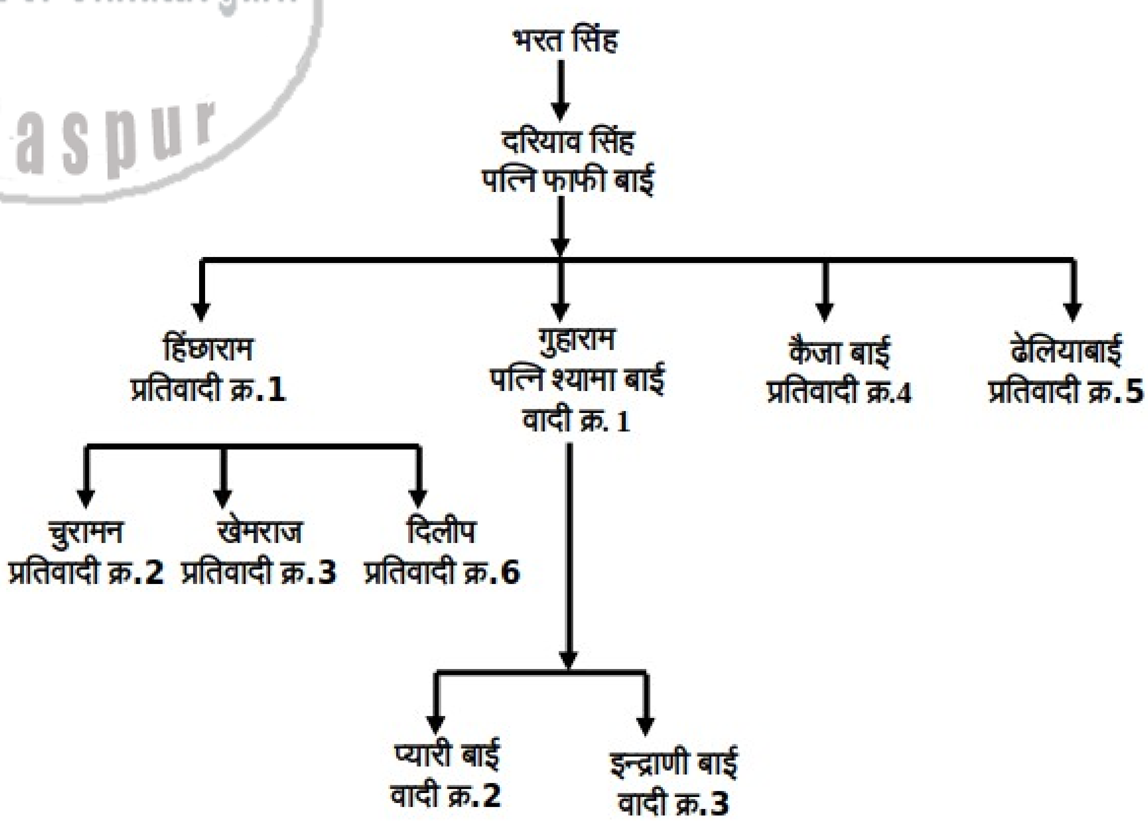

3. वाद सम्पत्ति (भूमि और मकान) जो अनुसूची ए एवं बी में उल्लेखित हैं, और जो वाद के साथ संलग्न है, ग्राम टाकम, तहसील बेरला में स्थित है। यह सम्पत्ति मूल रुप से दरियाव सिंह के पास थी । दरियाव सिंह और उनकी पत्नी फाफी बाई के दो पुत्र थे, जिनके

नाम हिन्छाराम(प्रति०क्रं०–01) , एवं गुहाराम थे, इसके अलावा उनकी दो पुत्रियां केजबाई (प्रति०क्रं०–04) और ढेलिया बाई (प्रति०क्रं०–05) तीनों वादीगण स्व.गुहाराम की विधवा एवं पुत्रियां हैं । प्रतिवादी क्रमांक–02, 03 एवं 06 हिन्छाराम के पुत्र हैं, जिनके नाम क्रमशः चूरामन, खेमराज और दिलीप हैं ।

4. वादीगण ने केवल कब्जा और अंतःकालीन लाभ के लिये सिविल वाद संस्थित किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ यह भी अभिवचन किया गया था कि विवादित सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति थी जो उनके पति/पिता गुहाराम की थी, इसलिये दरियाव सिंह को वाद सम्पत्ति को प्रतिवादी क्रमांक–02 और 03 के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक–18–03–1971 (प्र०पी०–01 और प्र०पी०–02) के माध्यम से विक्रय नहीं कर सकता था । उसके बाद फाफीबाई जो कि दरियाव सिंह की विधवा थी, वह प्रतिवादी क्रमांक–06 दिलीप के पक्ष में दिनांक–15–07–1979 को निष्पादित वसीयतनामा को करने में सक्षम नहीं थी, इसलिये वादीगण सम्पत्ति के विभाजन और कब्जे के साथ–साथ अंतःकालीन लाभ के हकदार हैं ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. प्रतिवादीगण का यह अभिवाक है कि वाद सम्पत्ति विभाजन के दौरान दरियाव सिंह के हिस्से में आयी थी, इसलिये वह सहीं ढंग से वाद सम्पत्ति को प्रतिवादी क्रमांक–02 एवं 03 के पक्ष में विक्रय विलेख दिनांक–18–03–1971 (प्र०पी०–01 एवं प्र०पी०–02) के माध्यम से अंतरित करने के लिये सक्षम था और उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा फाफीबाई ने भी सहीं तरीके से दिनांक–15–07–1979 को निष्पादित वसीयतनामा के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक–06 को सम्पत्ति हस्तांतरित कर दी, इसलिये वादीगण वाद सम्पत्ति, जो अनुसूची ए और बी में उल्लेखित है और वादपत्र के साथ संलग्न है, का कब्जा प्राप्त करने के हकदार नहीं है ।

6. विद्वान विचारणीय न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना करने के बाद अपने निर्णय और डिक्री दिनांक–11–09–2000 के अनुसार वादीगण का वाद सम्पत्ति जो अनुसूची ए और बी में उल्लेखित है और वादपत्र के साथ संलग्न है, में 3/8 वें हिस्से का हकदार माना है और इसके अलावा वादीगण को इस सम्पत्ति के कब्जे और अंतःकालीन लाभों का भी हकदार माना था ।

7. प्रतिवादीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय डिक्री दिनांक–25–02–2004 को विचारण न्यायालय के शेष निष्कर्षों की पुष्टि की है, जबकि अपीलीय न्यायालय ने यह माना कि वादसम्पत्ति जो अनुसूची ए और बी में उल्लेखित है और वादपत्र के साथ संलग्न है, में वादी क्रमांक–01 का 1/16 वां भाग और प्रतिवादी क्रमांक–02 एवं 03 का 229/640 वें हिस्से का अधिकार है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. दोनों निचली अदालतों द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को चुनौती देते हुए प्रतिवादी क्रमांक–01, 02, 03 और 06/अपीलकर्ताओं ने इस दूसरी अपील को व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत प्रस्तुत किया है । इस अपील में दो महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न उठाये गये हैं, जिन्हें इस निर्णय के प्रथम पैराग्राफ में प्रस्तुत किया गया है ।

9. श्री शशिभूषण तिवारी, जो अपीलकर्ताओं/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता हैं, ने यह तर्क दिया है कि वाद सम्पत्ति विभाजन के दौरान दरियाव सिंह के हिस्से में आयी थी, इसलिये उसने इसे सहीं तरीके से दिनांक–18–03–1971 (प्र०पी०–01 एवं प्र०पी०–02) के पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक–02 और 03 के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया । वादीगण ने यह वाद दायर करते समय इन विक्रय विलेखों को अवैध या अमान्य घोषित करने की मांग नहीं की थी, इसलिये निचली अदालतों को इन विक्रय विलेखों को रद्द नहीं करना चाहिये था । इसके अलावा प्रतिवादी क्रमांक–06 के पक्ष में फाफीबाई द्वारा

निष्पादित वसीयतनामा को भी दो गवाहों डी०डब्ल्यू०–02 (डमर सिंह) और डी०डब्ल्यू०–05 (दुर्गा प्रसाद) की गवाही के माध्यम से प्रमाणित किया जा चुका है । इस प्रकार निचली अदालतों द्वारा दिये गये निष्कर्ष कि प्रतिवादी क्रमांक–06 के पक्ष में फाफीबाई द्वारा निष्पादित वसीयतनामा को विधि के अनुसार प्रमाणित नहीं किया गया है, यह अभिलेख के विपरीत और दोषपूर्ण है । अतः यह व्दितीय अपील स्वीकार किये जाने योग्य है और वादीगण का वाद सव्यय निरस्त किया जाना चाहिये ।

10. श्री एच०एस०पटेल, जो उत्तरवादीगण/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता हैं, ने यह तर्क किया है कि वाद सम्पत्ति वाद के पक्षकारों की पैतृक सम्पत्ति थी और दरियाव सिंह के हाथों में थी । दरियाव सिंह को प्रतिवादी क्रमांक–02 एवं 03 के पक्ष में इस सम्पत्ति को बिना प्रतिफल के हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था (प्र०डी०–02 और प्र०डी०–03) । उन्होंने सम्पत्ति के इस विक्रय और विवादित वसीयत की वैधता को प्रमाणित करने में भी विफलता दिखायी है । फाफीबाई द्वारा प्रतिवादी क्रमांक–06 के पक्ष में निष्पादित वसीयत विधि के अनुसार प्रमाणित नहीं की गयी है, इसलिये दोनों निचली अदालतों के द्वारा वादीगण के पक्ष में दी गयी निर्णय एवं डिक्री पूर्ण रुप से न्यायोचित थी और यह व्दितीय अपील निरस्त किये जाने योग्य है ।

11. मैनें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना है और उनके प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है ।

<u>सारवान प्रश्न क्रमांक–01 का उत्तर</u>

12. तीनों वादीगण जो गुहाराम की विधवा और बेटियां हैं, ने दिनांक–07–04–1971 को एक वाद संस्थित किया था जो वाद सम्पत्ति (भूमि और घर) जो अनुसूची ए एवं अनुसूची बी में उल्लेखित है, वह सहदायिकी सम्पत्ति है, जिसमें उनका हिस्सा है । दरियाव सिंह जो गुहाराम के पिता और प्रतिवादी क्रमांक–01 हिंछाराम के भाई थे, की प्रकरण के लंबनकाल

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

के दौरान मृत्यु हो गयी थी । प्रतिवादी क्रमांक–01 हिंछाराम ने अभिवचन किया था कि दरियाव सिंह ने पहले ही वाद भूमि को दिनांक–18–03–1971 को दो विक्रय विलेखों के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक–02 चूरामन और प्रतिवादी क्रमांक–03 खेमराज के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया था और उसका शांतिपूर्ण कब्जा उन्हें प्रदान कर दिया था। इसके बाद गुहाराम और अन्य प्रतिवादी शांतिपूर्वक इस सम्पत्ति के कब्जे में थे और वादीगण का इस सम्पत्ति पर कोई अधिकार या स्वामित्व नहीं था । वाद की सुनवाई के दौरान दरियाव सिंह की पत्नी फाफीबाई की भी मृत्यु हो गयी और यह दावा किया गया कि उन्होंने दिनांक–15–07–1979 को एक वसीयत प्रतिवादी क्रमांक–06 दिलीप के पक्ष में निष्पादित की थी और यह भी अभिवचन किया गया था कि वादीगण का वाद सम्पत्ति पर कोई अधिकार या स्वामित्व नहीं है । यद्यपि निचली अदालत ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया और अपने फैसले में कहा कि अनुसूची ए और बी में वर्णित विवादित सम्पत्ति को वर्ष 1966 में तीन भागों में विभाजित किया गया था । यह विभाजन अलग–अलग निवास और खेती के लिये पारिवारिक व्यवस्था के तहत किया गया था, लेकिन राजस्व अभिलेखों में इसका कोई सुधार नहीं किया गया था । गुहाराम, जो वादीगण के पूर्वज थे, का वर्ष 1970 में निधन हो गया था इसके बाद दरियाव सिंह दिनांक–18–03–1971 को दो विक्रय विलेख (प्र०पी०–01 और प्र०पी०–02) निष्पादित किय और सम्पत्ति को प्रतिवादी क्रमांक–02 एवं 03 के पक्ष में अंतरित कर दिया, जिसका उद्देश्य वादीगण के दावे को कमजोर करना था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अभिलेख का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर यह दर्शित होता है कि वाद सम्पत्ति जो 78.46 एकड भूमि और एक मकान शामिल है, मूलरुप से भरत सिंह के स्वामित्व की थी । भरत सिंह, दरियाव सिंह के पिता थे । यह एक पैतृक सम्पत्ति थी, जिसे दरियाव सिंह ने उत्तराधिकार में प्राप्त किया था । इस प्रकार दरियाव सिंह के पास जो सम्पत्ति थी वह पैतृक सम्पत्ति थी । दरियाव सिंह के दो पुत्र हिंछाराम और गुहाराम थे । वर्ष 1966 के

चैत्र–बैशाख के महीनें में दरियाव सिंह ने वाद सम्पत्ति को अपने दोनों पुत्रों हिंछाराम और गुहाराम तथा पत्नी फाफीबाई के बीच विभाजित कर दी थी । यह सम्पत्ति दो गांवों टाकम और टकटिवा में स्थित थी और इसे तीन हिस्सों में केवल अलग–अलग निवास और खेती के उद्देश्य से पारिवारिक व्यवस्था के रुप में बांटा गया था, लेकिन इसका राजस्व अभिलेखों में कोई उल्लेख नहीं किया गया था और यह किसी विधिवत बंटवारे के रुप में दर्ज नहीं किया गया था । इसके बाद वर्ष 1970 के क्वांर महीने में गुहाराम, जो कि वादीगण के पूर्वज थे, की मृत्यु हो गयी । उनकी विधवा श्यामबाई वादी क्रमांक–01 अपने पति के हिस्से पर कब्जा बनाये रखना चाहती थी, लेकिन उसे सम्पत्ति पर अधिकार बनाये रखने की अनुमति नहीं दी गयी और उसे उसके ससुराल और वाद सम्पत्ति छोडने के लिये मजबूर किया गया और गुहाराम की सम्पत्ति पर दरियाव सिंह के द्वारा कब्जा कर लिया गया । इसके बाद वादीगण ने दिनांक–07–04–1971 को वाद प्रस्तुत किया, जिसमें सम्पत्ति के विभाजन एवं कब्जे की मांग की गयी । हिंछाराम एवं दरियाव सिंह ने गुहाराम की विधवा को बेदखल कर दिया और बाद में दरियाव सिंह ने दिनांक–18–03–1971 को दो विक्रय विलेखों (प्र०पी०–01 एवं प्र०पी०–02) के माध्यम से वाद सम्पत्ति को हिंछाराम के नाबालिग पुत्रों (प्रतिवादी क्रमांक–02 एवं 03) के पक्ष में बेच दिया ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. यह तथ्य स्पष्ट है कि वाद सम्पत्ति दरियाव सिंह के हाथों में एक सहदायिकी सम्पत्ति के रुप में आयी थी, जैसा कि यह विधि द्वारा स्थापित है कि एक पुरुष हिन्दु द्वारा अपने पिता, पितामह (दादा) या परदादा से विरासत में मिली सभी सम्पत्तियां पैतृक सम्पत्ति होती है । मिताक्षरा विधि के अनुसार पैतृक सम्पत्ति की मुख्य विशेषता यह है कि जो व्यक्ति सम्पत्ति विरासत में प्राप्त करता है, उसके पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र स्वतः ही उसमें अधिकार प्राप्त कर लेते हैं और उनका जन्म होते ही उस सम्पत्ति से जुडे अधिकार सक्रिय हो जाते हैं । जो व्यक्ति अपने तीन पीढियों के पूर्वजों (पिता, दादा एवं परदादा) से सम्पत्ति विरासत में प्राप्त करता है, उसे

सम्पत्ति अपने पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र के साथ मिलकर संयुक्त रुप से धारण करना होगा, लेकिन अन्य संबंधों के संदर्भ में, वह इसे अपनी पूर्ण स्वअर्जित सम्पत्ति के रुप में रखने और उसका स्वामी होने का हकदार होता है । मुल्ला का हिन्दू विधि (22 वां संस्करण, पृष्ठ 327) निम्नलिखत रुप में है–

" जो भी सम्पत्ति एक हिन्दू पुरुष को उसके पिता, पितामह (दादा) या परदादा से विरासत में मिलती है, वह पैतृक सम्पत्ति मानी जाती है । मिताक्षरा विधि के अनुसार, पैतृक सम्पत्ति की मूल विशेषता यह है कि जो व्यक्ति इसे प्राप्त करता है, उसके पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र जन्म के समय में ही इसमें अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं । जो व्यक्ति अपनी तीन पीढियों के प्रत्यक्ष पितृ पूर्वजों से सम्पत्ति प्राप्त करता है, उसे इसे अपने पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र के साथ संयुक्त रुप से धारण करना होगा, लेकिन अन्य संबंधों के मामले में वह इसे अपनी पूर्ण निजी सम्पत्ति के रुप में रखने का हकदार होगा । "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उपरोक्त विधिक सिद्धान्त का हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अर्शनूर सिंह बनाम हरपाल कौर एवं अन्य AIR 2019 SC 3098** के मामले में पालन किया गया है ।

16. विचारणीय प्रश्न यह होगा कि दरियाव सिंह द्वारा प्रतिवादी क्रमांक–02 एवं 03 (हिंछाराम के नाबालिग पुत्रों) के पक्ष में निष्पादित दो विक्रय विलेख वैध थे या नहीं ?

17. यह एक स्थापित विधि है कि कर्ता द्वारा कुटुम्ब की सम्पत्ति बेचने की शक्ति कुछ प्रतिबंधों के अधीन होती है अर्थात विक्रय केवल कानूनी आवश्यकता या सम्पत्ति के लाभ के लिये किया जाना चाहिये । कानूनी आवश्यकता के अस्तित्व को साबित करने का उत्तरदायित्व खरीददार (एलाईनी) पर होता है ।

18. **<u>श्रीमती रानी एवं अन्य बनाम श्रीमती संता बाला देवनाथ एवं अन्य 1970(3) SC 722</u>** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रुप से निर्णय दिया है–

" 10. बिक्रय को समर्थन देने के लिये कानूनी आवश्यकता को खरीददारों द्वारा स्थापित किया जाना आवश्यक है । सरला विवादित भूमि की सीमित स्वामिनी थी । वह पूरी सम्पत्ति को कानूनी आवश्यकता या सम्पत्ति के लाभ के लिये हस्तांतरित करने के लिये सक्षम थी । यह निर्णय लेते समय कि बिक्री सम्पूर्ण सम्पत्ति को हस्तांतरित करती है या नहीं, सम्पत्ति पर वास्तविक दबाव, उत्पन्न होने वाले संकट से बचाव और विशेष परिस्थिति में सम्पत्ति को मिलने वाले लाभ को ध्यान में रखा जाना चाहिये । कानूनी आवश्यकता का अर्थ वास्तविक बाध्यता नहीं होता है, इसका तात्पर्य सम्पत्ति पर पडने वाले दबाव से होता है , जिसे गंभीर और पर्याप्त माना जा सकता है । कानूनी आवश्यकता को साबित करने का दायित्व खरीददार (एलाईनी) पर होता है, जिसे वास्तविक आवश्यकता के प्रमाण द्वारा या यह साबित करके पूरा किया जा सकता है कि उसने आवश्यकता के अस्तित्व की उचित और ईमानदारी से जांच की थी और उसने यह सुनिश्चित करने के लिये सभी प्रयास किये कि वास्तव में ऐसी आवश्यकता थी । "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. **<u>श्रीमती रानी</u>** (पूर्वोक्त) मामले में स्थापित विधि सिद्धान्त का हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **<u>अर्शनूर सिंह</u>** (पूर्वोक्त) के मामले में पालन किया गया है ।

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **<u>विल्लीमई अची विरुद्ध नागप्पा चेटियार AIR 1967 SC 1158</u>** के मामले में यह निर्णय दिया कि एक पिता केवल वसीयत बनाकर संयुक्त परिवार की सम्पत्ति को अपने पुत्र की व्यक्तिगत सम्पत्ति में परिवर्तित नहीं कर सकता, क्योंकि इससे उसके पुत्र के पुत्रों का अधिकार समाप्त हो जायेगा । न्यायालय का मत इस प्रकार था–

" 10. लेकिन यह मान भी लिया जाये कि पलानीअप्पा ने किसी प्रकार का चुनाव किया, तब भी यह समझना कठिन होगा कि केवल पलानीअप्पा के पिता द्वारा वसीयत बनाने से सम्पत्ति की प्रकृति कैसे बदल सकती थी । चूंकि यह सम्पत्ति संयुक्त परिवार की सम्पत्ति थी पलानीअप्पा के पिता इसे वसीयत द्वारा हस्तांरित करने के अधिकारी नहीं थे । उनके द्वारा वसीयत बनाये जाने से सम्पत्ति की प्रकृति में कोई अंतर नहीं पडता जब यह पलानीअप्पा के अधिकार में आयी । एक पिता केवल वसीयत बनाकर संयुक्त परिवार की सम्पत्ति को अपने पुत्र की सम्पत्ति में परिवर्तित नहीं कर सकता, क्योंकि इससे उसके पुत्र के पुत्रों का अधिकार समाप्त हो जायेगा । यह स्पष्ट रुप से स्थापित नियम है कि जब पूर्वजों की सम्पत्ति का विभाजन किया जाता है तो प्रत्येक सहभागीदार को प्राप्त होने वाला हिस्सा पूर्वजों की सम्पत्ति ही बना रहता है, विशेष रुप से जब उसके पुरुष उत्तराधिकारी की बात आती है वे जन्म से ही इस सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त कर लेते हैं, चाहे वे विभाजन के समय मौजूद हो या उसके बाद जन्म लें । [देखें मुल्ला की हिन्दू विधि 13 वां संस्करण पृष्ठ 249 पैरा 223(2) (4)] । यदि यह सत्य है और पूर्वजों की सम्पत्ति का स्वरुप विभाजन के बाद भी नहीं बदलता, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि केवल इसलिये कि पिता ने वसीयत बनायी, जिससे उन्होंने संयुक्त परिवार की शेष सम्पत्ति (कुछ विशेष उपहार देने के बाद) अपने पुत्र को दे दी सम्पत्ति का स्वरुप कैसे बदला ? मिताक्षरा परिवार में पिता को वसीयत करने का सीमित अधिकार होता है, लेकिन वह सम्पूर्ण संयुक्त परिवार की सम्पत्ति को समाप्त करने का अधिकार नहीं रखता । चूंकि पलानीअप्पा के पिता ने केवल वसीयत बनायी और पलानीअप्पा ने एक आज्ञाकारी पुत्र के रुप में उसका पालन किया, इससे सम्पत्ति का स्वरुप नहीं बदलता । अतः हमारी राय में, सम्पत्ति का स्वरुप केवल वसीयत बनाये जाने से नहीं बदलता और यह सम्पत्ति पलानीअप्पा के हाथों में भी संयुक्त परिवार की सम्पत्ति बनी रहती है, जब तक कि उसके पुरुष उत्तराधिकारी मौजूद हैं ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11 आगे यह भी स्पष्ट रुप से स्थापित है कि मिताक्षरा विधि के अंतर्गत प्रत्येक पुत्र जन्म के समय अपने पिता के समान पूर्वजों की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त करता है चाहे वह सम्पत्ति चल हो या अचल । यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पुत्र को जन्म के समय जो अधिकार मिलता है, वह पूरी तरह से उसके पिता से स्वतंत्र होता है । वह अपने पिता के माध्यम से सम्पत्ति का दावा नहीं करता । [देखें मुल्ला की हिन्दू विधि 13 वां संस्करण पृष्ठ 251 पैरा 224] इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस मामलें में सम्पत्ति का स्वरुप पलानीअप्पा के पिता की वसीयत के कारण नहीं बदला और यह सम्पत्ति पलानीअप्पा के हाथों में भी संयुक्त परिवार की सम्पत्ति बनी रही । इसके अतिरिक्त जैसे ही उत्तरदाता को गोद लिया गया, उसे भी इस संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हो गया । पलानीअप्पा के हाथों में यह सम्पत्ति उसके पिता से स्वतंत्र थी, ऐसी परिस्थिति में भले ही पलानीअप्पा को चुनाव करने वाला माना जाये, फिर भी उत्तरदाता इस चुनाव से बंधा नहीं होगा, क्योंकि वह अपने पिता के माध्यम से दावा नहीं कर रहा है । "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. इसी प्रकार **<u>व्ही०के०सुरेन्द्र बनाम व्ही०के० थिमैय्या एवं अन्य (2013) 10 SCC 211</u>** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रुप से कहा है कि यदि परिवार में कोई विभाजन नहीं हुआ है, तो संयुक्त परिवार संयुक्त रुप से ही बना रहता है। कर्ता को यह अधिकार नहीं होता है कि वह संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का स्वरुप बदल दे, न ही वह वसीयत या दान के माध्यम से सम्पत्ति का हस्तांतरण कर सकता है, जब तक कि अन्य सहभागीदारों की सहमति न हो । न्यायालय ने विशेष रुप से निम्नलिखित टिप्पणी की –

" 18. यदि कुनैय्या और उसके पुत्रों के परिवार में कोई विभाजन नहीं हुआ है, तो हम यह मानते हैं कि उनका परिवार संयुक्त परिवार बना रहा। यदि संयुक्त परिवार का कोई

सहभागीदार यह दावा करता है कि उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति है, तो यह उसका उत्तरदायित्व है कि वह साबित करे कि सम्पत्ति वास्तव में उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति है । इस संदर्भ में, उच्च न्यायालय ने सहीं ठहराया है कि कुनैय्या को यह अधिकार नहीं था कि वह संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का स्वरुप बदल दे और न ही वह इसे वसीयत या दान के माध्यम से किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित कर सकता था, जब तक कि अन्य सहभागीदारों की सहमति न हो "

22. अब इस मामले के तथ्यों को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के हस्तांतरण से संबंधित विधि के सिद्धान्तों के संदर्भ में देखा जाये, तो यह स्पष्ट है कि दरियाव सिंह और गुहाराम के पास जो सम्पत्ति थी, वह संयुक्त परिवार की सम्पत्ति थी । गुहाराम जो वादी के पति/पिता थे, वे इस सम्पत्ति में सहभागीदार थे । इस संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का गुहाराम के जीवनकाल में कोई विभाजन नहीं हुआ, सिवाय इसके कि वर्ष 1966 में अलग निवास/कृषि संचालन के उद्देश्य से कुछ व्यवस्था की गयी थी, लेकिन गुहाराम की मृत्यु के बाद वादी के पूर्ववर्ती दरियाव सिंह ने इस संयुक्त परिवार की सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया और उसे दो विक्रय विलेखों के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक–02 एवं 03 के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया, जो कि बिना किसी कानूनी आवश्यकता और बिना किसी भुगतान के किया गया था, क्योंक यह विवादित सम्पत्ति संयुक्त परिवार की सम्पत्ति थी और इसमें कोई विभाजन नहीं हुआ था, इसलिये इसे बिना कानूनी आवश्यकता के हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था । अतः दिनांक–18–03–1971 के दो विक्रय विलेख (प्र०पी०–01 एवं प्र०पी०–02) कानूनी रुप से प्रभावी नहीं होंगे और वादीगण पर बाध्यकारी नहीं होंगे । अभिलेख से यह स्पष्ट रुप से पता चलता है कि ये विक्रय विलेख बिना किसी भुगतान के निष्पादित किये गये थे और प्रतिवादी कानूनी आवश्यकता को साबित करने में असफल रहे हैं, इसलिये सारवान प्रश्न क्रमांक–01 का उत्तर वादीगण के पक्ष में और प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिया जाता है ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

<u>सारवान प्रश्न क्रमांक–02 का उत्तर</u>

23. चूंकि वाद विवादित सम्पत्तियां दरियाव सिंह और उनके पुत्र की संयुक्त परिवार की सम्पत्तियां थी और इनमें कोई विभाजन नहीं हुआ था, इसलिये फाफीबाई दिनांक–15–07–1979 को प्रतिवादी क्रमांक–06 दिलीप के पक्ष में वसीयत नहीं कर सकती थी साथ ही ये संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के स्वरुप को वसीयत के माध्यम से बदल नहीं सकती थी, जब तक कि अन्य सहभागीदारों की सहमति न हो । निचली अदालतों ने भी इस वसीयत को अस्वीकार कर दिया है और यह माना है कि प्रतिवादी क्रमांक–06 वसीयत के निष्पादन और प्रमाणीकरण को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 (ग) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार प्रमाणित करने में विफल रहा है द इसमें किसी भी तरह की अवैधता या मनमानी नहीं पायी गयी है । अतः प्रश्न क्रमांक–02 का उत्तर वादीगण के पक्ष में और प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिया जाता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. परिणामस्वरुप व्दितीय अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है । सभी पक्षों को अपने–अपने खर्च स्वयं वहन करने होंगे ।

25. तदानुसार डिक्री तैयार की जाये ।

सही /–

(संजय के० अग्रवाल)

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur